हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

हि. प्र. विधान सभा

लोक लेखा समिति

(2022-23)

तेरहवीं विधान सभा

उच्चत्तर शिक्षा विभाग

उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) पर बने 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित।

अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण

(दिनांकः 13 .08.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण	(1 से 11 तक)

समिति का गठन

सभापतिः

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्यः

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय :

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति(तेरहवीं विधान सभा)(2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **उच्चत्तर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट पुनः संस्तुतियों के संदर्भ में सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण " को सदन में उपस्थापित करती हूँ।

लोक लेखा समिति का गठन विधान सभा सचिवालय की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973(नवम् संस्करण) के नियम-209 एवं 211 के अनुसरण में वर्ष 2022-23 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः वि0स0-विधायन-समिति गठन/ 1-14/2018, दिनांक 28.03.2022 को किया गया।

समिति का 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) दिनांक 15.03.2003 को आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को प्रेषित किया जिसके विभागीय उत्तर दिनांक 22.05.2003, 17.07.2018 व 14.08.2018 को प्राप्त हुए। दिनांक 20.06.2022 की आयोजित बैठकों में समिति ने प्राप्त उत्तर पर विचार-विमर्श किया तथा विचारोपरान्त समिति ने इस पर अग्रेत्तर कार्रताई विवरण बनाने का निर्णय लिया। यह **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

समिति ने दिनांक **18.07.2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त अपनाया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

आशा कुमारी

(आशा कुमारी)

सभापति,

लोक लेखा समिति।

दिनांकः 18.07.2022

शिमला-171004.

माननीय लोक लेखा समिति के 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) के पैरो के उत्तर पर आधारित अनुवर्ती कार्रवाई विवरण।

2.2.8	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजनः			
(2)(ii)	समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समीक्षा उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विभाग ने आधिक्य एवं अभ्यर्पण सूचना भेजते समय मद के अन्तर्गत आबंटित राशि मु0 6.90 लाख रूपये व यात्रा मद के अन्तर्गत आबंटित राशि मु0 0. 90 लाख रूपये का दर्शाया जबकि इसके प्रति वास्तविक आबंटन कमशः मु0 3.70 लाख रूपये व 0.6 लाख रूपये था वर्ष 1994–95 में समिति यह नहीं समझ पाई कि आबंटन राशि को गलत उदृत क्यों किया गया तथा आधिक्य की कुल राशि मु0 10.64 लाख रूपये के बचत राशि के रूप में दर्शाना विभाग की क्रियाकलाप व लापरवाही का द्योतक है। विभागीय उत्तर में 3.23 लाख रूपये के पुनर्विनियोजन पश्चात शुद्ध	माननीय लोक लेखा समिति को सूचित किया जाता है कि मु0 7.10 लाख रूपये प्रौढ़ शिक्षा के छः कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान पर व्यय किये गये थें तथा मु0 0.31 लाख उपरोक्त कार्यालयों में अन्य प्रभारों पर व्यय हुये। जहां तक प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों	*समिति पुनः सिफारिश करती है कि प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विलय का मामला शीघ्र निपटाया जाये।*	*माननीय लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत है कि प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विलय के मामले का निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई.डी.एन. (एली)एच(I)बी(6) ऐडल्ट एज्युकेशन स्टॉफ/2012 दिनांक 18–04–2012 (छायाप्रति पताका–क पर संलग्न) के अन्तर्गत*

	आधिक्य 7.41 लाख रूपये दर्शाया गया है जिसमें से 7.10 लाख रूपये का आधिक्य व कर्मचारियों के वेतन फलस्वरूप बताये गये हैं परन्तु 31 हजार आधिक्य किन कारण से हुआ है पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। समिति उपरोक्त समीक्षा के दृष्टिगत अनुशंसा करती है कि समिति को दी जाने वाली सूचना सम्पूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिये जिसका परिपालन भविष्य में सुनिश्चित करवाया जाये तथा सम्पूर्ण आधिक्य की राशि मु0 7.41 लाख रूपये बारे पूर्ण विवरण दिया जाये। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विलय का मामला शीघ्र निपटाकर वस्तुस्थिति से समिति को अवगत किया जाए। समिति भविष्य में प्रकियात्मक दोषों को सुधारने हेतु भी सिफारिश करती है तथा ऐसी त्रुटियों का निवारण समय	के विलय का संबंध है इस बारे सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है माननीय समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटियां न हो इनका निपटान समय–समय पर अनुवर्ती कार्यवाही द्वारा किया जा रहा है।		*समायोजन किया जा चुका है।* *अतः माननीय समिति से अनुरोध है कि पैरे को समाप्त करने की कृपा करें।*

	रहते कर दिया जाना चाहिये ताकि अनावश्यक रूप से आडिट रिपोर्ट में आपत्ति पैरों के निर्माण से बचा जा सके तथा ऐसी त्रुटियों का निपटान समय–समय पर अनुवर्ती कार्यवाही द्वारा करवाया जाना चाहिए।			

सत्य प्रमाणित

Education Minister,
Himachal Pradesh

No.EDN(Ele)H(I)B(6)Adult Education Staff/2012
Directorate of Elementary Education
Himachal Pradesh, Lalpani,Shimla-1

Dated Shimla-171001, the 18th April,2012.

OFFICE ORDER

Following staff working under Adult Education in Himachal Pradesh, are hereby shifted/adjusted in the offices as mentioned against their names with immediate effect:-

Sr. No.	Name of Official/ Officer and designation Sh./Smt.	Present place of posting	Name of the office where shifted/ adjusted
1.	Kamla Thakur, Superintendent-II	Adult Education, Dte. of Elem. Edu. H.P. Shimla-1	Directorate of Ele. Edu. H.P. Shimla against the existing vacant post of Supdtt-II.
2.	Jasvinder Singh Superintendent-II	-do-	Directorate of Ele. Edu. H.P. Shimla alongwith post from Adult Edu.
3.	Jaswant Singh Dhiman Project Officer	-do-	--do--

14	Praveen Nanda, Peon	o/o POAE Chamba working in the o/o Dy DEE E Chamba	o/o DDEE Chamba alongwith post.
15	Usha Devi, Peon	o/o DAEO Chamba working in ZSS Chamba	--do--
16	Kanta Devi, PTWC	o/o DAEO Chamba working in the o/o Dy DEE Chamba	--do--
17	Kunti Devi, Peon	o/o DAEO Hamirpur	o/o DDEE Hamirpur alongwith post.
18	Rama Sharma, Sr. Asstt.	o/o DAEO Kangra at Dharamshala	o/o DDEE Kangra at Dharamshala alongwith post.
19	Nirmla Devi, Peon	-do-	--do--
20	Pawan Kumar, Peon	-do-	--do--
21	Moti Ram, Peon	o/o DAEO Kullu	o/o DDEE Kullu alongwith post.
22	Rattani devi, Peon	o/o DAEO Kinnuar	o/o DDEE Kinnour alongwith post.

33.	Surinder Kumari, Peon	o/o DAEO Una	o/o DDEE Una alongwith post and retired on 29-02-12
34.	Bir Singh, Peon	o/o Project Education Keylong working in the o/o Dy.Director of Hr.Edu.Keylong	o/o Dy. Director of Hr. Edu. Keylong alongwith post.

Sd/-
DIRECTOR.

Endst. No. Even Dated Shimla-1, the 18th April 2012

Copy for information and necessary action to:-

1. The Director of Higher Education, H.P. Shimla-1
2. The Addl. Director(Admn.), Dte. of Ele. Edu. H.P. Shimla-1
3. The Joint Controller(F&A), Dte. of Ele. Edu. H.P.Shimla-1
4. All the concerned Dy.DEEs in Himachal Pradesh.
5. All the concerned DDOs under Adult Education in Himachal Pradesh with the remarks that LPCs of the concerned officers/officials be sent to offices where shifted/ adjusted as mentioned above before 20th April 2012 under intimation to this Directorate.

माननीय लोक लेखा समिति के 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) के पैरा संख्या: 3.18 का उत्तर बारे।

<table>
<tr><th>पैरा सं.</th><th>माननीय लोक लेखा समिति की सिफारिश</th><th>अग्रेतर समीक्षा</th><th>नवीनतम स्थिति</th></tr>
<tr><td>3.18 (सिविल)बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराज</td><td>लेखा परीक्षा के दौरान वर्ष 1995 के अन्त तक विभिन्न सिविल विभागों से दिसम्बर 1994 तक 5874 निरीक्षण प्रतिवेदन में 20845 परिच्छेदों का समायोजन किया जाना शेष बताया गया था। आडिट समय में वित्तीय अनियमितता एवं त्रुटियों पर टिप्पणियों जिनके पुर्ण उत्तरों के अभाव में स्थल या आडिट के समय समायोजन नहीं होता यह मामले निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से विभागाध्यक्षों/उच्चतर विभागीय अधिकारियों के ध्यान में लाये जाते हैं।</td><td>शेष 776 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 1579 पैरों को शीघ्र समायोजन करके अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।</td><td>इस पैरे के संदर्भ में माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षा विभाग (उच्चतर शिक्षा) से सम्बन्धित वर्ष 1994-95 के अन्त तक निरीक्षण प्रतिवेदन व आडिट पैरों की तदर्थ समिति की बैठक के उपरान्त दिनांक 14/09/2017 की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

<table>
<tr><th></th><th>निरीक्षण प्रतिवेदन</th><th>परिच्छेद</th></tr>
<tr><td>दिसम्बर 1994 तक लम्बित</td><td>942</td><td>2701</td></tr>
<tr><td>निपटाये गये प्रतिवेदन व पैरे</td><td>600</td><td>2075</td></tr>
<tr><td>28-02-2011 तक शेष लम्बित</td><td>342</td><td>626</td></tr>
<tr><td>इसके उपरांत निपटाये गये प्रतिवेदन व पैरे</td><td>44</td><td>91</td></tr>
<tr><td>14-09-2017 तक शेष लम्बित</td><td>298</td><td>535</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि दिसम्बर,1994 तक लम्बित 942 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 2701 परिच्छेदों में से 64 प्रतिवेदन तथा 523 परिच्छेदों का समायोजन 30/04/1997 तक कर दिया है। अब शेष 878 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 2178 परिच्छेद निपटारे हेतु रहते हैं। समिति दर्शाई गई प्रगति को संतोषजनक नहीं समझती क्योंकि वर्ष 1959–60 से सम्बधिंत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं परिच्छेदों का अभी समायोजन शेष है। अतः समिति सिफारिश करती है कि शेष निरीक्षण प्रतिवेदन व पैरों का समायोजन कर वस्तु स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।		उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में यह सूचित जाता है कि विभाग द्वारा बकाया पैरों का समायोजन तदर्थ समिति की बैठकों/मीटिंगों तथा स्थल समायोजन के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में माननीय लोक लेखा समिति को यह भी सूचित किया जाता है कि बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की इसके उपरान्त की स्थिति महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011 में पैरा संख्या 3.5 के अन्तर्गत दर्शायी गई है। अतः माननीय लोक लेखा समिति से आग्रह है कि इस पैरे को समायोजन करने की कृपा करें। अधिप्रमाणित Education Minister, Himachal Pradesh

लोक लेखा समिति की दिनांक 20 जून, 2022 को 02.30 बजे(अपराह्न) मुख्य समिति कक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला-171004 में आयोजित बैठक की कार्यवाहीः

*****

उपस्थितः

1.	श्री हर्षवर्धन चौहान	:	कार्यकारी सभापति
2.	श्री आशीष बुटेल	:	सदस्य
3.	श्री राकेश जम्वाल	:	सदस्य
4.	श्री भवानी सिंह पठानिया	:	सदस्य

हि0प्र0 विधान सभा सचिवालयः

श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

*****

समिति ने प्रारम्भिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अपने 140वें मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा), 142वें मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा), 141वें कार्रवाई प्रतिवेदन(ग्यारहवीं विधान सभा), 317वें कार्रवाई प्रतिवेदन(अष्टम् विधान सभा), 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) तथा 233वें कार्रवाई प्रतिवेदन(ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित अंतर्विष्ट सिफारिशों के संदर्भ में प्राप्त विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया। उसके उपरान्त उन पर निर्णय/टिप्पणियां की; जिसका ब्यौरा अनुलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त समिति ने उक्त वर्णित 140वें मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा), 142वें मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) पर कार्रवाई प्रतिवेदन तथा 141वें कार्रवाई प्रतिवेदन(ग्यारहवीं विधान सभा), 317वें कार्रवाई प्रतिवेदन(अष्टम् विधान सभा), 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) पर अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण तैयार करने का भी निर्णय लिया।

समिति की बैठक 03.30 बजे(अपराह्न) सभापति महोदय के प्रति तथा उनके द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव सहित दिनांक 21 जून, 2022 के 11.00 बजे(पूर्वाह्न) तक स्थगित हुई।

(हर्षवर्धन चौहान)
कार्यकारी सभापति

लोक लेखा समिति के 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा)सी0ए0जी0 वर्ष 1994-95 जोकि उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, के विभागीय उत्तर पर आधारित। (2018/452)			
	3.18	**बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराज** समिति इस पैरे को यहां से इस आशय से समाप्त करती है क्योंकि इस पैरे से सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के 218वें कार्रवाई प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) के पैरा संख्या 3.5 में अपेक्षित रहेगी।	14.08.2018

लोक लेखा समिति की दिनांक 20.06.2022 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का उद्धरण।

पैरा संख्याः 3.18 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराज

समिति इस पैरे को यहां से इस आशय से समाप्त करती है क्योंकि इस पैरे से सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के 218वें कार्रवाई प्रतिवदेन(तेरहवीं विधान सभा) के पैरा संख्या 3.5 में अपेक्षित रहेगी।